मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९७६

मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६

विषय-सूची

धाराएं:-

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. अनुसूची का संशोधन.

४. पोषण, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां.

५. आदेशों का प्रकाशन तथा तामील.

६. शक्तियों का प्रत्यायोजन.

७. शास्तियां.

८. प्रयत्न तथा दुष्प्रेरण.

९. नियमों द्वारा अपराध.

१०. अपराधों का संज्ञान.

११. अपराधों का संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति.

१२. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाई का संरक्षण.

१३. नियम बनाने की शक्ति.

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९७६.

मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६

[दिनांक ९ मार्च १९७६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक २७ मार्च १९७६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

पशुओं के पोषण तथा संचलन का जनसाधारण के हित में उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को तथा ऐसे क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जिन्हें/जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पशु" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये पशुओं में से कोई पशु;

(ख) "निगम" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या रजिस्ट्रीकृत किया गया कोई निगमित निकाय तथा उसके अन्तर्गत कोई कम्पनी, फर्म या व्यष्टियों की अन्य संथा आती है ;

(ग) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्रेत है उस फर्म का कोई भागीदार;

(घ) "अधिसूचित आदेश" से अभिप्रेत है राजपत्र में अधिसूचित किया गया कोई आदेश.

अनुसूची का संशोधन.

३. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किये जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जायगी.

पोषण, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां.

४. (१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक सुरक्षा या सार्वजनिक सुविधा या लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में किसी पशु के रखे जाने, उसका पोषण या संचलन किया जाने का प्रतिषेध या विनियमन कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन दिये गये किसी आदेश में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध हो सकेंगे :—

(क) पशुओं को बांधने या इकट्ठा करने का, उनकी संख्या की तथा उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले स्थान की दृष्टि से, प्रतिषेध करने या विनियमन करने के लिए;

(ख) पशुओं का निरीक्षण करने के लिए तथा दुग्धशालिक या दुग्ध विक्रेता का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के अधिभोग में के दुग्धालयों तथा पशु-सायवानों के सन्निर्माण, परिमाप, संवातन, प्रकाश, सफाई, जल-निकास तथा जल प्रदाय का विनियमन करने के लिए;

(ग) ग्वाला बस्तियों (कालोनी), दुग्धालयों तथा पशु-बाड़ों की स्थापना या सन्निर्माण के लिए;

(घ) विनिर्दिष्ट स्थान या क्षेत्र में पशुओं के आयात के प्रतिषेध या विनियमन के लिए;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन के विषयों में से किसी भी विषय का अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र द्वारा या अन्यथा विनियमन करने के लिये;

(च) फीस के प्रभारण को सम्मिलित करते हुए किन्हीं भी आनुषंगिक या अनुपूरक विषयों के लिए.

आदेशों का प्रकाशन तथा तामील.

५. (१) धारा ४ के अधीन किया गया कोई आदेश,—

(क) उस दशा में जबकि वह सामान्य प्रकार का आदेश हो या व्यक्तियों के किसी वर्ग को प्रभावित करने वाला आदेश हो, राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा;

(ख) उस दशा में जबकि वह आदेश किसी एकल व्यक्ति या किसी एकल निगम को प्रभावित करने वाला आदेश हो, विहित रीति में तामील किया जायगा.

(२) जहां कोई ऐसा प्रश्न उठे कि क्या किसी व्यक्ति को धारा ४ के अनुसरण में किये गये किसी आदेश की सम्यक् रूप से इत्तिला दी गई थी, वहां उपधारा (१) की या उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उसे ऐसी इत्तिला दी गई थी. किन्तु उन अपेक्षाओं का अनुपालन न करना किन्हीं अन्य साधनों से यह साबित करने का कि उसे उस प्रकार इत्तिला दी गई थी प्रवारण नहीं करेगा और न उस आदेश की विधिमान्यता को ही प्रभावित करेगा.

६. राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा ४ के अधीन आदेश करने की शक्ति ऐसे अधिकारी द्वारा भी या स्थानीय प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए ऐसे प्राधिकारी द्वारा भी तथा ऐसे विषयों के संबंध में तथा ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि उस अधिसूचित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रयोक्तव्य होगी। शक्तियों का प्रत्यायोजन.

७. (१) यदि कोई व्यक्ति धारा ४ के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दंडित किया जायगा। शास्तियां.

(२) किसी आदेश के उल्लंघन का विचारण करने वाला कोई भी न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि कोई ऐसा पशु, जिसके कि बारे में न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, तथा कोई ऐसा यान या जलयान या पशु, जिसके कि बारे में न्यायालय का यह समाधान हो गया हो कि उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की जानकारी से उसका उपयोग ऐसे पशु का वहन करने के लिए किया गया है, सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाय।

८. किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो कि धारा ४ के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उसके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करता है, यह समझा जायगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है। प्रयत्न तथा दुष्प्रेरण.

९. (१) यदि धारा ४ के अधीन किये गये आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई निगम है, तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो उल्लंघन के समय उस निगम के कामकाज के संचालन के लिए उस निगम के प्रति वचनबद्ध था, उस निगम का भारसाधक था और उस निगम के प्रति उत्तरदायी था, तथा साथ ही उस निगम को भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वे इस बात के भागी होंगे कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा उन्हें दंडित किया जाय : निगमों द्वारा अपराध.

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या कि उसने ऐसे उल्लंघन का निवारण करने के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी निगम द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध निगम के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या कि कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा की गई कोई उपेक्षा उस अपराध का कारण मानी जा सकती है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार इस बात का भागी होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा उसे दण्डित किया जाय।

१०. (१) ऐसे अधिकारी द्वारा, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय, उन तथ्यों के संबंध में, जिनसे कि अपराध बनता हो, की गई लिखित रिपोर्ट के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। अपराधों का संज्ञान.

(२) राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी, जो कि प्राधिकृत किया जाय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए, किन्हीं कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने के या तो पूर्व या पश्चात्, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर कि ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया हो, अपराध के शमन के बदले एक हजार रुपये से अनधिक धनराशि प्रतिग्रहीत कर सकेगा तथा यह निदेश दे सकेगा कि उसके द्वारा प्राक्कलित किये गये उसके (पशु, यान या जलयान के) मूल्य से अनधिक ऐसी और धनराशि का, जिसे कि वह उचित समझे, भुगतान हो जाने पर, उस पशु, यान या जलयान को, जो कि इस अधिनियम के अधीन समपहृत किये जाने के दायित्वाधीन होने के नाते अभिग्रहीत किया गया हो, निर्मुक्त कर दिया जाय.

(३) उपधारा (२) के अधीन यथा उपबन्धित शमन-धन तथा अतिरिक्त धनराशि का ऐसे अधिकारी को भुगतान हो जाने पर वह व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायगा और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी दाण्डिक न्यायालय में संस्थित की गई हो, तो शमन का अर्थ दोषमुक्ति समझा जायगा और उसी अपराध के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति या पशु, यान या जलयान के विरुद्ध और आगे की कोई भी कार्यवाही किसी भी दशा में नहीं की जायगी.

(४) किसी अपराध का शमन करने वाला अधिकारी किसी ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के, जो कि अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दिया गया हो, रद्दकरण का आदेश दे सकेगा, या यदि वह अधिकारी ऐसा करने के लिये सशक्त न हो, तो वह इस प्रकार सशक्त किये गये किसी अधिकारी के पास ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के रद्दकरण के लिए जा सकेगा.

अपराधों का संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति.

११. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (क्रमांक २ सन् १९७४) की धारा २६० की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किये गये अपराधों का संक्षेपतः विचारण करने के लिये तत्समय विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, अभियोजन द्वारा इस निमित्त में आवेदन किया जाने पर, किसी भी ऐसे अपराध का, जो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हो, उक्त संहिता की धारा २६२ से २६५ तक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विचारण कर सकेगा.

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१२. (१) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिए, जो कि धारा ४ के अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

(२) किसी भी ऐसी बात के द्वारा, जो धारा ४ के अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, पहुंचाये गये या संभाव्यतः पहुंचाये जाने वाले किसी नुकसान के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति.

१३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

अनुसूची

(१) सांड
(२) बैल
(३) गाय
(४) कलोर
(५) बछड़े
(६) भैंस
(७) बकरी
(८) भेड़

भोपाल, दिनांक २७ मार्च १९७६.

क्र. १२२८६-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पशु (नियंत्रण) अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २१ सन् १९७६) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सं. कु. सुराणा सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 1976.

THE MADHYA PRADESH PASHU (NIYANTRAN) ADHINIYAM, 1976

[Received the assent of the Governor on the 9th March, 1976; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 27th March, 1976.]

An Act to provide in the interests of the general Public for the maintenance and movement of cattle.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Twentyseventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Pashu (Niyantran) Adhiniyam, 1976.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date and in such areas as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "cattle" means any of the animals specified in the Schedule;

(b) "corporation" means any body corporate constituted or registered under any enactment for the time being in force and includes a company, firm or other association of individuals;

(c) "director" in relation to a firm means a partner in the firm;

(d) "notified order" means an order notified in the official Gazette.

Amendment of Schedule.

3. The State Government may, by notification in the official Gazette, add to or alter or amend the Schedule and on such notification being issued, the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

Powers to control maintenance, supply, distribution, etc.

4. (1) If the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for the purpose of promoting the public safety or public convenience or public health, it may, by a notified order, prohibit or regulate the keeping, maintaining or movement of any cattle in any particular place or area specified in such order.

(2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), and an order made thereunder may provide—

(a) for prohibiting or regulating stalling or herding of Cattle in regard to the number thereof, and the place to be used for the purpose;